REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2018

भारतीय महिलाओं की उन्नति : डॉ. अम्बेडकर का योगदान

माधवी राजहंस

प्रस्तावना :

भारतरत्न डॉ. 'भीमरावरामजी अम्बेडकर' ग्यारह भाषाओं के धुरन्धर विद्वान, समाजशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित, कुशलराजनीतिज्ञ, समस्तधर्मों एवं दर्शनों के ज्ञाता, आधुनिक भारत के निर्माता एवं दलितों के मुक्तिदाता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनमंत्री, संविधान विधाता, मानवतासमता एवं स्वतंत्रता के उपासक, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ, हिंदुकोड बिल के समर्थक एवं नारी जगत के उद्धारक के रुप में हमारेसामनेआतेहै।

प्राचीनकाल से ही संभवत: बारहवीं, तेरहवींऔरउन्नीसवींसदी के मध्यतक हम देखते है कि नारी जाति की हमेशादुर्गति हीसामनेआयीहै। जिसतरहहजारों वर्ष की परम्परा में शूद्रों एवं अछूतों की ओर किसीनेध्याननहीं दिया, ठीक उसी तरह एक औरवर्ग भी हमेशादुर्लक्षितरहा, वह है सभीवर्णों की स्त्रियाँ।हाँ, कुछ कर्तृत्ववान महिलाओं के नाम भीसामनेआते हैं, किंतुसंख्या बहुतही कम है। भारतीय प्राचीन धर्मग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार बाल-विवाह, सती-प्रथा की बली चढ़नेवालीस्त्रीआजदेश की प्रधानमंत्रीतथाराष्ट्रपति बन सकती हैं। हर एक क्षेत्र में स्त्रीको ५० प्रतिशतआरक्षण दिया जा रहाहै।इसके पीछे डॉ. भीमरावअम्बेडकरका संविधानहै।

बाबासाहब केवल दलितों के मसीहानहींथे बल्कि किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, महिलाओं औरअल्पसंख्यकों के हित में उन्होंने बड़ा काम कियाहै। संविधान में नारीकोसमान अधिकार व अछूतों के हितका विशेषध्यानरखतेहुएहजारों सालपुरानीपरंपराको निरस्तकर दियागयाहै।

आजतक भारतीय महिलाओं के कई उद्धारक सामनेआए है, किंतुउनकासही मार्गदर्शक एवं मुक्तिदाताकेवल एक हीहै, 'डॉ. भीमरावअम्बेडकर।' भारतकाआद्य धर्मशास्त्र यानेकानून की किताब मानेजानेवाले 'मनुस्मृति' ग्रंथ नेशूद्रों, दलितों एवं स्त्रियों के अधिकारपूर्णत: छीनलिएथे।उनके साथपशुओं- से भी ओछा व्यवहार कियाथा। अत: इसदेश की अमानवीय सामाजिक व्यवस्था में 'स्त्री' प्रत्येक स्थानपरनाकारी गई है। मनुस्मृति नेस्त्री-दास्यताकाहमेशासमर्थन किया है, जिसकाप्रभावआज भी जनमानसपर दिखाई देताहै।आज के वैज्ञानिक युग में भी स्त्रियों परअमानुषअन्याय, अत्याचारहोते दिखाई देते हैं। अत: स्पष्टहै कि किसी भी सुधारवादियों को यह ग्रंथ कदापि मान्य होनेवालानहींथा।संक्षेप में महाडजलसत्याग्रह के समय २४ दिसंबर १९२७ कोअम्बेडकरने 'मनुस्मृति दहन' का प्रतिकात्मक कार्य करके स्त्रीस्वतंत्रताकापहला कदम उठायाथा, ऐसाकहेंगेतो भी गलतनहींहोगा। भारतीय महिलाओं कोस्वातंत्र्य देनेवाले महामानव डॉ. भीमरावकोकोटी कोटी प्रणाम....।

स्त्रीवर्ग की प्रगति में डॉ. साहब काअटूट विश्वासथा।उन्होंनेहमेशास्त्री शिक्षाकापुरस्कार किया।देश की समस्याओं कोसुलझाने में तथासामाजिक बुराइयों कोदूरकरने में स्त्रीवर्ग अधिक सहायताकरसकता है, ऐसी उनकी निष्ठा थी। वे कहतेथे, 'किसीसमाज की प्रगति स्त्री-वर्ग की उन्नति से हीनापी जा सकतीहै।' अत: अम्बेडकर के कई आंदोलनों में स्त्रियों काप्रत्यक्षसहभाग भी महत्वपूर्ण रहाहै।सार्वजनिक क्षेत्रआज भी पुरुषप्रधान है, तो उस समय सामान्य स्त्रीकोघर से बाहर कदम रखना कितना मुश्किलरहाहोगा ? ऐसीस्थिति में दलित, शोषितवर्ग की स्त्रीकोघर से बाहर निकाल के प्रत्यक्षआंदोलन में सक्रिय कराना यह बात अभूतपूर्व थी।आज भी कई स्त्रीसंगठनों में स्त्रियों की उपस्थिति न्यूनतम होती है, किंतु बाबासाहब के आंदोलनों में स्त्रीसंख्यालक्षणीय थी। अत: उन्हें आंदोलनों में प्रत्यक्षस्त्री-सहभाग के जनक भी कहाजाताहै।

किसी भी आंदोलनकोतात्विक अधिष्ठानप्राप्तहोनाजरुरीहोताहै।अम्बेडकरनेस्त्री के गुलामीका अंत करने के लिएआवश्यक तत्वज्ञानअपनेलेखनी से 'स्त्री-मुक्तीआंदोलन' को दियाहै।स्त्री-पुरुषसमानताप्रस्थापितकराने के लिए डॉ. अम्बेडकरने महत्वपूर्ण अस्त्रकाउपयोजन किया, वह है कानून।उनके मन में स्त्रीऔरशूद्रजनतापर जातिव्यवस्थाने कियाहुआअन्याय, अत्याचार के प्रति अत्यंत चीढ़थी। महिलाओं के हित में हिंदूकोड बिल पासकराने में उन्हें एँड़ी-चोटी कापसीना एक करनापड़ा किंतुकुछ कट्टर सनातनी रुढ़िवादियों की वजह से वह बिल पूरी तरह पास न होसका।इसके लिएउन्होंनेस्वयं के मंत्रीपदका भी त्याग कियाथा। अत: वही बिल पाँचवर्ष पश्चातकुछ परिवर्तन के बादपास कियागया।उसकाजो भी अंशपासहोसका, उसका लाभ आज महिलाओं को मिल रहाहै।संपत्ति में बराबरीकासंवैधानिक अधिकारउन्हें मिल चुकाहै।सन १९५२ के बाद केंद्र सरकारनेउसी बिल से ४ स्वतंत्रकानून बनाए - दि हिंदू मॅरेज ॲक्ट (१९५५), दि हिंदुसक्सेशन ॲक्ट (१९५६), दि हिंदु मायनॉरिटी अँडगार्डीयनशिप ॲक्ट (१९५६), दि हिंदु ॲडॉप्शन अँड मेन्टेनन्स ॲक्ट(१९५६)आदि। अत: अम्बेडकर के इसकार्य के लिए भारतकास्त्रीवर्ग उनकाहमेशाऋणीरहेगा।

डॉ.अम्बेडकरनेपरंपरागत विधिशास्त्र में जखड़ी हुई स्त्रीको संविधानद्वारा प्रदत्तसमान अधिकारों से बंधनमुक्त कियाहै। संविधान में स्त्री-पुरुष, धर्म जाति और जन्म के आधारपर किसी भी प्रकारका भेदभावनहीं कियाहै। वे हमेशा यहीचाहतेथे कि अब स्त्रीवर्ग सामाजिक तथाराजनैतिक क्षेत्रों के सुधार में पीछे न रहेऔरउन्हें खुशी भी थी कि स्वतंत्र भारत में स्त्रीवर्ग नेकाफी प्रगति की है।उन्हीं के प्रयत्नों से बम्बई विधानसभा में महिलाओं कोप्रसूति के बादतीन महिने के अवकाशकाजो अधिकार मिला था, उसे बाद में देश भर में मान लियागया।स्त्रियों की शैक्षिक प्रगति काआलेख दिनोंदिन बढ़ता जा रहाहै।आज भारत में सभीक्षेत्रों में आय.ए.एस., वकिल, न्यायाधीश, इंजीनिअर्स, डॉक्टर्स, बिझनेस मॅनेजमेंट अधिकारी, इंजिन ड्रायव्हर्स, पायलट्स से लेकर बस ड्रायव्हर्स, ॲटो रिक्षा ड्रायव्हर्स, रेल्वेहम्माल तक काकार्य स्त्रियाँ कररहीहै। विविधपुरुषप्रधानपदों पर भी उसनेअपना कर्तृत्व सिद्ध कियाहै।तात्पर्य ज्यादा से ज्यादा शिक्षक, प्राध्यापक, एवं नर्सेस तक स्त्रियां काम करसकतीहैऐसासोचनेवालों को स्त्रियों ने अच्छा सबक सिखायाहै।

संक्षेप में पारंपारिक दृष्टिकोन विशेषत: महिलायें सिर्फ घर-गृहस्थी, बच्चों कीपरवरिश, रसोई, सफाई आदि काम करे, ऐसा सोचनेवालेत थास्त्रीको नियंत्रित रखानेवालों के सामनेस्त्रीआज एक आह्वान बनकर खड़ी हैं, तोइसके पीछे डॉ. अम्बेडकरका विधिशास्त्रहैं।